कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः— श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :— **सर्वश्री टेक्नीकल ट्रेडिग, । मीराबाई मार्ग, मिश्रा भवन, लखनऊ।**

प्रा0प0सं0— **405/2008**

प्रार्थी की ओर से— **कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा—59 के अर्न्तगतनिर्णय</u>

।— प्रार्थी के द्वारा दिनांक 6—11—08 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा—59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा फर्श पर घिसने वाली बटिटयों पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2— व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड—। वाणिज्य कर, लखनऊ जोन, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या—3224 दिनांक17—12—08द्वारा व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)वाणिज्य कर, लखनऊ के पत्र संख्या—4210 दिनांक15—12—08 एवं डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड—12, लखनऊ द्वारा प्राप्त आख्या को प्रेषित किया गया है । जिसके अनुसार फर्श पर घिसने वाली बटटी उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की किसी अनुसुची में वर्गीकृत नहीं है अतः उपरोक्त वस्तु अनुसुची—5 के अन्तर्गत आने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता बनती है।

3— धारा—59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नोटिस भेजी गयी तथा व्यापारी को दिनांक 22—।—09 की तिथि पत्रावली पर नोट करायी गयी परन्तु दिनांक 22—1—09 को व्यापारी की ओर से न ही कोई उपस्थित हुआ और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया 1 ऐसी स्थिति में व्यापारी के धारा—59 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण एकपक्षीय रुप से किया जाना न्याय संगत होगा ।

4— मेरे द्वारा व्यापारी के धारा—59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्राप्त आख्या का परिशीलन किया गया और पाया गया कि फर्श पर घिसने वाली बटटी वैट अधिनियम की अनुसुची 1, 2, 3, 4 में वर्गीकृत नहीं है 1अतः फर्श पर घिसने वाली बटटी अनुसुची—5 में आने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है।

5— प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा—59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6— इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को, एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

ह0/10—2—09

दिनांकः: 10फरवरी, 2009

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।